दिनांक 20.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 439/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अयोध्या इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 20.08.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अयोध्या इकाई** द्वारा अमित कुमार दूबे निवासी ग्राम पारा कैल थाना पूराकलन्दर जनपद अयोध्या से खेत नापकर कब्जा दिलाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक हरिओम मिश्रा के नेतृत्व में पंचायत भवन ग्राम पारा कैल वि0ख0 मसौधा से **राजस्व लेखपाल उत्कर्षदीप** पुत्र राजेश कुमार ग्राम सहजौरा जनपद अयोध्या को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 20.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 440/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कौशाम्बी/थाना कोखराज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 20.08.2026 को थाना कोखराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम माल्दह के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोखराज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोखराज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष कुमार निवासी ग्राम मैहदाइच थाना चांद जनपद कैमूर बिहार।

जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 24 लाख रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 19.08.2026 को थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद, एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–शिव कुमार 2–विशाल उर्फ सीटू 3–उमेश उर्फ ततैया को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 24 लाख रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.08.2026 को थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—शिव कुमार निवासी ग्राम कल्हौर पछाह थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।

2—विशाल उर्फ सीटू निवासी ग्राम कल्हौर पछाह थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।

3—उमेश उर्फ ततैया निवासी ग्राम कल्हौर पछाह थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।

<u>बरामदगी</u>

1—लूटे गये 24 लाख रूपये नगद।

2—01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद आजमगढ़/थाना अहरौला/थाना तहबरपुर</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 29 हजार 230 रूपये नगद**
- **05 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 20.08.2026 को थाना अहरौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पश्चिमपट्टी महलिया के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—दिलकस 2—साहिल घायल हो गये,

जिन्हे गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया, एवं सूचना के आधार पर थाना तहबरपुर पुलिस टीम द्वारा चकियादुबे रामपुर सर्विस रोड से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 3–वाजिद 4–फैजान को घायल/गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 29 हजार 230 रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दिलकस के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त साहिल के विरूद्ध जनपद बदायूं के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौला व थाना तहबरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–दिलकस निवासी ग्राम मिलकरोहदी थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

2–साहिल निवासी ग्राम रामनगर थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

3–वाजिद निवासी ग्राम नगरिया कला थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

4–फैजान निवासी ग्राम रामगंगा थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 29 हजार 230 रूपये नगद।

3–05 मोबाइल फोन।

4–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

5–01 चार पहिया वाहन आदि।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 08–08 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–उदल 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 08–08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना भरतकूप (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना भरतकूप पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त उमेश कुमार को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना आदमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना आदमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शोएब उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना बडौत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमर उर्फ लक्ष्य को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना कांट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 26–26 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना कांट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34/325/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–खुसीराम 2–सोहनलाल 3–विद्या प्रकाश को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 26–26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना दही (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना दही पर पंजीकृत अभियोग में धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————